



# महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)  
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya  
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)  
NAAC Accreditation- "A" Grade

कादर नवाज़ ख़ान

Kadar Nawaz Khan

कार्यकारी कुलसचिव/ Acting Registrar

वित्त अधिकारी/ Finance Officer

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फ़ैक्स / Fax: +91-7152-230903

क्रमांक: 005/2009/NVPS/10 (3-1)/2013/282

तिथि : 21.07.2017

## कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय पी-एच.डी. अध्यादेश 45/2009 के अनुच्छेद 07.2 तथा 07.3 के आलोक में पी-एच.डी. (सत्र:2012-13) गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग के शोधार्थी श्री नलिन कुमार मंडल को उनके आवेदन के आलोक में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष परिस्थिति में 03 माह की अतिरिक्त अवधि (05 वर्ष पूर्ण होने की अवधि के पश्चात) शोध-प्रबंध जमा करने के लिए प्रदान की जाती है।

उक्त अवधि के लिए इन्हें किसी प्रकार की फेलोशिप देय नहीं होगी। साथ ही दी गई अवधि के भीतर शोधार्थी द्वारा शोध-प्रबंध जमा नहीं करने की स्थिति में उनका पी-एच.डी. का पंजीयन स्वतः निरस्त माना जाएगा।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़  
(कादर नवाज़ ख़ान)  
21/07/17

प्रति: संबंधित शोधार्थी।

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय।
2. विभागाध्यक्ष, गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग को उक्त प्रकरण सक्षम निकाय में कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ।
3. परीक्षा विभाग।
4. अकादमिक विभाग।
5. वित्त विभाग।
6. पं. रा. सा. केंद्रीय पुस्तकालय।
7. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
8. संबंधित फाइल